संख्या-7/2016/720/15-7-2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2016

विषयः- प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-परिषद-9/डी0ई0/24, दिनांक 06 मई, 2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में उल्लिखित प्राविधानों में संशोधन से सम्बन्धित विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न करते हुए अधिनियम की धारा-16(2) के अन्तर्गत उक्त विनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को एतद्द्वारा श्री राज्यपाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिषद् विनियमों अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

3- उक्त के संबंध में तद्नुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-प्रा0शि0प0/परिषद-1(1)/2016-10662-65, दिनांक 26-2-2016 के संदर्भ में।

3- सुश्री स्वाति मौर्य निवासी-538एफ/163,लोनी कटरा कालोनी, खदरा, जनपद-लखनऊ को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 11-4-2016 एवं 18-4-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिषद विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) के क्रमांक-34 के पश्चात् नवीन क्रमांक-35 जोडा जाना

विनियम संशोधन का प्रारूप

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
विनियम-17(7) क्रमांक-1 से 34	**विनियम-17(7)** क्रम-1 से 34 तक यथावत **35-** प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-.
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 28 मई, 2016 ई० (ज्येष्ठ 7, 1938 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27 मई, 2016 ई0

सं0 परिषद्-9/279–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 720/15-07-2016, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम) के विनियम-17(7) के क्रम 34 के पश्चात् नवीन क्रम 35 को निम्नवत् रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है–

पूर्व व्यवस्था	संशोधित विनियम
विनियम-17(7)	**विनियम-17(7)**
क्रमांक-1 से 34	क्रमांक-1 से 34 तक यथावत्।
	35--प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

श्रीमती शैल यादव,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–9 हिन्दी गजट–भाग 4–2016 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।